पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 275/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 04.09.20243

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक 04.09.2024 को जनपद आजमगढ़ से निम्न कार्यवाहियां की गयीः-

01-थाना दीदारगंज आजमगढ़ : किशोरी के साथ छेडखानी करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 02.09.2024 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दिया गया कि अभियुक्तों 1. शनि पुत्र विजय बहादुर यादव, 2. संजय पुत्र राम चन्दर मौर्य, 3. गोविन्दा पुत्र बजरंगी यादव समस्त निवासी ग्राम पल्थी थाना दीदारगंज आजमगढ ने वादी मुकदमा की लडकी के साथ छेडखानी किया है जिसके सम्बन्ध में थाना दीदारगंज पर मु0अ0सं0-229/2024 धारा 74 बीएनएस पंजीकृत किया गया दौरान विवेचना धारा 7/8 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

आज दिनांक 04.09.2024 को उ0नि0 करमुल्ला अली मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तों 1. शनि कुमार यादव पुत्र विजय बहादुर यादव, 2. संजय मौर्या पुत्र रामचन्दर मौर्या, 3. गोविन्दा उर्फ रश्मिकान्त पुत्र बजरंगी समस्त निवासी ग्राम पल्थी थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ को दरियापुर मोड (दीदारगंज-पल्थी रोड) से समय करीब 10:45 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 करमुल्ला अली, हे0का0 गुलाब यादव, हे0का0 कमलेश मिश्रा थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

02.थाना- कोतवालीः हत्या में वांछित एक अभियुक्ता गिरफ्तार

पूर्व की घटना–

अवगत कराना है कि वादी मुकदमा श्यामदुलारे चौहान उम्र लग0 56 वर्ष पुत्र स्व० तिलकणारी साकिन सिकरौरा, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि वादी के लड़के संदीप का विवाह श्रीमती पूनम देवी पुत्री धनीराम चौहान, ग्राम व पोस्ट-अमीरा, थाना- रानीपुर जनपद मऊ के साथ दिनांक 06.03.2017 को हुई थी, वादी की बहू का अवैध सम्बन्ध किसी से चल रहा था जिसके चलते मेरे पुत्र संदीप व बहू के बीच विवाद होता रहता था। जिसको लेकर मेरी बहू मेरे लड़के संदीप से बराबर मार झगड़ा व मार-पीट करती थी मेरे लड़के संदीप की आकस्मिक मृत्यु दिनांक 25/12/2021 को हो गयी थी । उसकी मृत्यु के बाद मेरी बहू पूनम जमीन जायदाद को लेकर मुझसे झगडा करने लगी जिससे पूनम के मायके पक्ष के पिता व भाई तथा भाभी रेखा पत्नी हरेन्द्र का सहयोग व साजिश जायजाद हडपने के लिए की जा रही थी पूनम व उसकी भाभी रेखा के मध्य हुई बात से स्पष्ट है की पूनम व उसके पिता धन्नीराम व भाई हरेन्द्र तथा भाभी रेखा ये लोग साजिश करके प्रापर्टी को लेकर परिवार की हत्या कर प्रापर्टी हड़प कर पूनम की दूसरी शादी के लिए बात कर चुके थे। इसी साजिश के तहत दिनांक 27.06.2023 को लग0 08:30 बजे रात्रि को पूनम अपने बच्चे आरूष को स्वयं खाना खिलाकर लेकर अपने कमरे में चली गयी कुछ देर बाद आरूष को उल्टी दस्त शुरू हो गयी आनन-फानन में मैं व मेरे दोनो पुत्र प्रदीप व दिलीप आरूष को लेकर तुरन्त अस्पताल में पहुँचे जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी बहू पूनम व मेरे द्वारा बताये गये उसके मायके वालों द्वारा साजिश कर मेरे पोते आरूष की हत्या जहर देकर कर दी गयी तथा प्रापर्टी हड़पने की नियत से मुझे व मेरे परिवार वालों को फँसाना चाहती हैं , के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 460/23 धारा 302 भादवि दिनांक 18.08.2023 को पंजीकृत कराया।

गिरफ्तारी का विवरण–

दिनांक 04.09.24 को निरीक्षक अपराध रफी आलम मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित प्रकाश में आई अभियुक्ता सरोज चौहान पुत्र श्याम दुलारे चौहान नि0 सिकरौरा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र 34 वर्ष को समय 13.45 बजे अभियुक्ता के घर ग्राम सिकरौरा से नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

03. थाना- फूलपुरः दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

दिनांक 1.09.2024 को वादिनी मुकदमा थाना फूलपुर जिला आजमगढ़ ने थाना फूलपुर पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी मोनू मौर्या पुत्र सुबाष मौर्या निवासी मुडियार ईदगाह थाना फूलुपुर आजमगढ 2. कुछ सहयोगी नाम पता अज्ञात द्वारा बहला फुसला कर डाक्यूमेन्ट दिलाने के बहाने उसके गाड़ी में बैठाकर दिनांक 22.07.2024 को जबरदस्ती आजमगढ़ ले गया और वहॉ पर कुछ लोगो को पहले से बुला रखा था जबरदस्ती शादी कर लेना पुछने पर गाली गलौज व धमकी देना व जाति सूचक शब्दो का प्रयोग करना व स्कूल जाते समय आये दिन परेशान किया गया, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 447/24 धारा 87, 78, 352, 351(2), 61(2) बीएनएस व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2) 5 एसी एसटी एक्ट बनाम मोनू मौर्या पुत्र सुबाष मौर्या निवासी मुडियार ईदगाह थाना फूलुपुर आजमगढ 2. कुछ सहयोगी नाम पता अज्ञात के पंजीकृत किया गया । विवेचना क्षेत्राधिकारी फूलपुर द्वारा सम्पादित किया जा रहा है । विवेचना एवं पीडिता के बयान अन्तर्गत धारा 180 बीएनएसएस एवं आदि से धारा 64 बीएनएस की बढोत्तरी किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 04.09.2024 को व0उ0नि0 गंगा राम बिन्द मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभि0 मोनू मौर्या पुत्र सुबाष मौर्या निवासी मुडियार ईदगाह थाना फूलुपुर आजमगढ थाना फूलपुर जनपद आजगमढ़ को रोडवेज से मुंडियार ईदगाह जाने वाली रोड़ के रेलवे क्रासिंग के पास से समय करीब 08.05 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

04. थाना- फूलपुर: मारपीट करने वाले 04 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

दिनांक 02.09.24 को वादी मुकदमा रामचन्द्र गिरी पुत्र सुरजु गिरी ग्राम कोठवा पोस्ट दुर्वाषा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि पुरानी जमीन के विवाद को लेकर विपक्षी गण 1.राम मिलन यादव 2. सुरेन्द्र यादव 3. विरेन्द्र यादव पुत्रगण हंसराज यादव 4. अनुराग यादव पुत्र राममिलन यादव निवासी गण कोठवा थाना फूलपुर आजमगढ द्वारा लाठी डण्डा व फालड़ा से मारने पीटने , गाली गुप्ता देते हुए धमकी दी गयी, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 451/24 धारा 115(2), 352, 351(2) बीएनएस पंजीकृत होकर विवेचनात्मक कार्यवाही उ0नि0 गौतम कुमार सरोज द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक- 04.09.2024 को उ0नि0 गौतम कुमार सरोज, मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. राम मिलन यादव पुत्र हंसराज यादव 2. सुरेन्द्र यादव पुत्र हंसराज यादव 3. विरेन्द्र यादव पुत्र हंसराज यादव 4. अनुराग यादव पुत्र राममिलन यादव निवासीगण ग्राम कोठवा थाना फूलपुर आजमगढ बैठे मिंल जिन्हे मुकदमा उपरोक्त की विवेचना के क्रम मे धारा 35(2)वीएनएसएस की नोटिस तामिला/हस्ताक्षर बनाने हेतु कहा गया परन्तु उपरोक्त लोगो द्वारा उक्त नोटिस पर हस्ताक्षर बनाने से इंकार कर दिये। अभियुक्तों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा जारी 35(3) के आदेशो एवं निर्देशो का अनुपालन नही करने के क्रम मे समय 12.30 बजे अभियुक्तों को हिरासत पुलिस मे लिया गया तथा अभियुक्तों के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद फावडे का बेत लम्बाई लगभग 3 फीट व एक अदद पंखे का लोहे का स्टैण्ड राड़ लम्बाई लगभग 02 फीट बरंग गहरे भूरे रंग का बरामद किया गया। अग्रेत्तर कार्यवाही प्रचलित है।